रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 474] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 15, 1982/आश्विन 23, 1904
No. 474] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1982/ASVINA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1982

का० आ० 747 (अ)—कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 3 के अनुसरण में जो कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 के द्वारा यथा रूढ़ लागू चल रहा है और भारत सरकार की उस अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में पृष्ठ सं० 1078 पर दिनांक 14 सितम्बर, 1978 को ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के का० आ० सं० 558 (क) दिनांक 6 सितम्बर, 1978 के द्वारा अधिसूचित की गई थी और कोयला संरक्षण और विकास परामर्शदात्री समिति की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वह वर्ग और ग्रेड निर्धारित करती है जिसमें दिसेरगढ़ सीम, वेस्ट आफ सलम, डाहुक का वर्गीकरण निम्नलिखित होगा: —

चिनाकुरी, रानीपुर, सीतलपुर, बारमोंडिया और परबेलिया में जिस दिसेरगढ़ सीमा कोयले का खनन हो रहा है उसे तत्काल प्रभाव से "अर्ध कोकिंग कोल" माना जाएगा ।

[फा० सं० 15014/1/80-सी० आर० सी०]

टी० आर० जयरामन, सलाहकार (परियोजना)

## MINISTRY OF ENERGY

### (Department of Coal)

New Delhi, the 15th October, 1982

**S.O. 747(E).**—In pursuance of clause 3 of the Colliery Control Order 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 558(E) dated the 6th September, 1978, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, sub-section (ii) of section 3 dated the 14th September, 1978 at page 1078 and as recommended by the Coal Conservation and Development Advisory Committee, the Central Government hereby prescribed the classes and grades into which Dishergarh seam, West of Salma Dyke shall be categorised, as follows :—

Dishergarh seam coal as being mined at Chinakuri, Ranipur, Sitapur, Barmondia and Parbelia shall be treated as "semi coking coal" with immediate effect.

[File No. 15014/1/80-CRC]

T. R. JAYARAMAN, Adviser (Projects)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982